टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पता : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव
कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई 400013, सीआईएन नं.: U67190MH2008PLC187552

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में ''दायित्वधारकों यानी ऑब्लिगर्स'' के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित मांग सूचना/ओं में अंकित बकाया धनराशियों का, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथा जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त दायित्वधारक(गण)/विधिक उत्तराधिकारी(गण)/विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे ऐसा करने के इच्छुक हैं, किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रति/यां प्राप्त कर लें।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि टीसीएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां नीचे इसमें नीचे उल्लिखित धनराशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, निम्न स्तंभ (घ) में अंकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होनेवाले निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को बंधककृत किया गया है।

अनुबंध संख्या	दायित्वधारक(कों)/विधिकउत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.) निम्न तिथि के अनुसार*	मांग सूचना की तिथि एनपीए की तिथि
TCHIN0962000100199731 & TCHHL0962000100196048	श्री पंकज सलूजा (उधारकर्ता) तथा श्रीमती स्वाति सलूजा (सह–उधारकर्ता)	18/01/2024 के अनुसार, राशि रु. 26,84,086/– (छब्बीस लाख चौरासी हजार छियासी मात्र) ऋण खाता संख्या TCHHL0962000100196048 के तहत आपके द्वारा देय और एक राशि रु. 82,878/– (रुपये बयासी हजार आठ सौ अठहत्तर केवल) ऋण खाता संख्या TCHIN0962000100199731 के अंतर्गत आपके द्वारा देय है अर्थात कुल मिलाकर से रु. 27,66,964/– (सत्ताईस लाख छियासठ हजार नौ सौ चौंसठ मात्र)	18-01-2024 03-01-2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : "सभी टुकड़े और पार्सलः 1. निर्मित आवासीय संपत्ति संख्या 325 की फ्री होल्ड पूरी तीसरी मंजिल (छत/छत के अधिकार के साथ), जिसका माप 32 वर्ग मीटर है, साथ ही अविभाजित भूमि में आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार के तहत उक्त संपत्ति, रोहिणी आवासीय योजना, ब्लॉक ए, पॉकेट – 05, सेक्टर 28, रोहिणी, दिल्ली – 110042 के लेआउट प्लान में स्थित है, साथ ही बिक्री विलेख संख्या 1232 दिनांक 04/05/2023 में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। प्लॉट नंबर 325 की सीमा इस प्रकार हैः पूर्व – प्लॉट नंबर 324, पश्चिम – प्लॉट नंबर 326, उत्तर – प्रवेश, दक्षिण – प्लॉट नंबर 274।

2. निर्मित आवासीय संपत्ति संख्या 324, 32 वर्ग मीटर की फ्री होल्ड पूरी तीसरी मंजिल (छत/छत अधिकार के साथ), उक्त संपत्ति के तहत अविभाजित भूमि में आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार के साथ, रोहिणी आवासीय योजना, ब्लॉक ए, पॉकेट– 05, सेक्टर 28, रोहिणी, दिल्ली – 110042 के लेआउट प्लान में स्थित, सभी सामान्य सुविधाओं के साथ जैसा कि उल्लेख किया गया है विक्रय विलेख संख्या 1233 दिनांक 04/05/2023 में।

प्लॉट नंबर 324 की सीमा इस प्रकार हैः पूर्व– प्लॉट नंबर 323, पश्चिम– प्लॉट नंबर 325, उत्तर– प्रवेश, दक्षिण– प्लॉट नंबर 275।"

TCHHF0351000100215940	श्री सौकत अली (उधारकर्ता) तथा श्रीमती शहाना (सह–उधारकर्ता)	दिनांक 18/01/2024 के अनुसार रु. 13,43,294/– (रुपये तेरह लाख तैंतालीस हजार दो सौ चौरानबे मात्र)	18-01-2024 03-01-2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : नंबर 111–बी (पुराना) और 117–बी (नया) फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति के निर्मित प्रथम तल (छत/छत अधिकार के बिना) के सभी टुकड़े और पार्सल। 40 वर्ग मीटर का माप यानी 33.5 वर्ग. मीटर, खसरा नंबर 21/4/2 में शामिल, नीचे की भूमि में आनुपातिक फ्रीहोल्ड शेयर के साथ, ग्राम ख्याला में स्थित, विष्णु गार्डन के नाम से जाना जाने वाला इलाका, ब्लॉक–एनई, नई दिल्ली – 110018, बिक्री विलेख के तहत सभी सामान्य सुविधाओं के साथ काम।

*संबंधित मांग सूचना दिनांकित उपरांकित में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो टीसीएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी।

उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति–अनुमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जाएगा।

दिनांक : 01-02-2024 — **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : दिल्ली — **कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

टाटा कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : टॉवर ए, 11वीं मंजिल, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग,
लोअर परेल, मुम्बई-400013, शाखा पता : 9वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1,
झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ऋण खाता सं. 6399371 तथा TCFLA0359000010917112 : श्री उमेश मिश्रा

सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग लोअर परेल, मुंबई-400013 और अन्य स्थानों में एक शाखा कार्यालय नई दिल्ली ('शाखा') में है। दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के तहत, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत अन्तरक के रूप में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ('टीसीएफएसएल') और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ('टीसीसीएल') तथा अन्तरिती के रूप में टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के बीच ठहराव की योजना ('उक्त योजना') को विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (अंतरक कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभ, हित, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि के साथ 01.01.2024 से एक गोइंग कंसर्न के रूप में टीसीएल में विलय कर चुकी हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उनके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए और इस प्रकार टीसीएल उसके संदर्भ में [ऋणकर्ताओं/सह-ऋणकर्ताओं] से दावा करने का हकदार है।.

निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल लि. (प्रतिभूत लेनदार/टीसीएफएसएल) के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा टाटा कैपिटल लि. (प्रतिभूत लेनदार/टीसीएल) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, "जैसा है जहाँ है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है यही है और आश्रय रहित" आधार पर 27 फरवरी, 2024 को बिक्री की जायेगी।

जबकि प्रतिभूत आस्ति का विक्रय प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए किया जाना है और जबकि ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/जमानती अर्थात (1) श्री. उमेश मिश्रा; (2) पिंकी शर्मा उर्फ पिंकी मिश्रा; दोनों निवासी मकान नंबर 11/388, एसएफ तेलीवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032; इसके अलावा: 1/4355, गली नंबर 8, राम नगर एक्सटेंशन, दिल्ली -110032 (3) मैसर्स मोहित साड़ीज, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, मकान नंबर 11/388, एसएफ तेलीवाड़ा शाहदरा, दिल्ली -110032; (4) मैसर्स मोहित साड़ीज, दुकान नंबर 410, छोटा बाजार, शाहदरा, नई दिल्ली -110032। से धारा 13(2) के तहत मांग सूचना दिनांक 10.06.2021 के माध्यम से 10.06.2021 तक रु. 35,50,000/- (रुपये पैंतीस लाख पचास हजार मात्र) बकाया था।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन/अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से कथित 27 फरवरी, 2024 को 2 बजे अपराह्न टीसीएफएसएल द्वारा शाखा कार्यालय 9वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, दिल्ली-110055 पर की जायेगी। ईएमडी, डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति की खरीद हेतु मुहरबन्द ई-नीलामी टाटा कैपिटल लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 26 फरवरी, 2024 को 5 बजे अप. तक ग्रहण की जायेगी।

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	जमा धरोहर राशि (रु.)
पूरी दूसरी मंजिल, निर्मित संपत्ति में छत के अधिकार के बिना, सम्पत्ति नंबर II/388 (भाग), खसरा नंबर 642 में से 80 वर्ग मीटर (लगभग 96 वर्ग गज) की भूमि, तेलीवाड़ा, इलाका शाहदरा, दिल्ली की आबादी में गांव चद्रावली के क्षेत्र में स्थित है, जो विशेष रूप से बिक्री विलेख दिनांक 14.08.2012 में वर्णित है, उमेश मिश्रा और पिंकी मिश्रा के पक्ष में। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः दूसरों की संपत्ति, पश्चिमः दूसरों की संपत्ति, उत्तरः- श्री राधे शरण सचदेवा की संपत्ति, दक्षिणः गली	भौतिक	रु. 24,22,000/- (रुपये चौबीस लाख बाईस हजार मात्र)	रु. 2,42,200/- (रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ मात्र)

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। चल वस्तुएं/हाउस होल्ड इन्वेंट्री, यदि ऊपर वर्णित प्रतिभूत संपत्ति के भीतर पड़ी है, तो प्रतिभूत संपत्ति के साथ बिक्री के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक कि नीलामी बिक्री नोटिस में विशेष रूप से वर्णित न हो। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। नीलामी के समय सामान्यतः जनसामान्य को अपनी संविदा(एं) व्यक्तिगत तौर पर जमा करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यह बिक्री सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार होगी। ई-नीलामी पोर्टल **https://disposalhub.com** के माध्यम से 27 फरवरी, 2024 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित होगी। सम्पत्ति के क्रय हेतु जमा की गयी सभी संविदाओं के साथ नई दिल्ली में भुगतान योग्य 'टाटा कैपिटल लिमिटेड' के पक्ष में उपरोक्त के अनुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। सम्पत्ति का निरीक्षण 16 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच किया जा सकता है।

नोट : इच्छुक संविदाकार अधिकृत प्राधिकारी श्री शैलेन्द्र शुक्ला, ई-मेल आईडी **shailendra.shukla@tatacapital.com** तथा मोबाइल नं. +918373901261 से सम्पर्क कर सकते हैं।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात **https://bit.ly/3Smkymn** देखें अथवा अधिकृत प्राधिकारी या सेवा प्रदाता नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क करें।

स्थान : नई दिल्ली, — ह./- अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 01.02.2024 — कृते टाटा कैपिटल लिमिटेड

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

मनीष हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

(CIN:U45201DL2004PTC124601)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **201, मल्होत्रा कॉम्प्लेक्स, चावला वाली गली, शकरपुर, दिल्ली–110092** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से "मध्य प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए **29 जनवरी 2024** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

201, मल्होत्रा कॉम्प्लेक्स, चावला वाली गली, शकरपुर, दिल्ली–110092

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
मनीष हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
अनिल कुमार रोकडिया
(निदेशक)
दिनांक : 31.01.2024 — डीआईएन : 09393659
स्थान : दिल्ली

प्रपत्र सं. - 03 [विनियम-15 (1) (क) / 16 (3) देखें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित)

वाद सं. : OA/301/2021

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19(4) के तहत सम्मन — Exh. No.: **21641**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

बनाम

मैसर्स श्याम स्टोन क्रशिंग कं.

सेवा में,

(1) **मैसर्स श्याम स्टोन क्रशिंग कंपनी D/W/S/O- श्री योगेन्द्र कुमार** अपने साझेदारों के माध्यम से प्रतिनिधित्व, ग्राम अट्टा, नूंह, जिला नूंह–122103 हरियाणा। फरीदाबाद, हरियाणा **अन्य पताः** मकान नंबर 154 गांव और डाकघर हैदरपुर नई दिल्ली, दिल्ली

(2) **श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम चन्द्र** पार्टनर मैसर्स श्याम स्टोन क्रशिंग कंपनी, गांव अट्टा, जिला नूंह – 122103 हरियाणा। **अन्य पताः** श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम चन्द्र मैसर्स श्याम स्टोन क्रशिंग कंपनी, मकान नं. 154, ग्राम एवं डाकघर हैदरपुर, नई दिल्ली–110088। नई दिल्ली, दिल्ली–110088

(3) **श्री आशीष यादव पुत्र श्री मोहिंदर सिंह** पार्टनर मैसर्स श्याम स्टोन क्रशिंग कंपनी निवासी गांव अट्टा, नूंह, जिला नूंह – 122103 हरियाणा **अन्य पताः** श्री आशीष यादव पुत्र श्री मोहिंदर सिंह पार्टनर मैसर्स श्याम स्टोन क्रशिंग कंपनी, मकान नंबर 154, गांव और डाकघर हैदरपुर नई दिल्ली–110088 नई दिल्ली, दिल्ली–110088

(4) **श्री गौरव यादव पुत्र श्री मोहिंदर सिंह पार्टनर** मैसर्स श्याम स्टोन क्रशिंग कंपनी, निवासी गांव अट्टा, नूंह, जिला नूंह – 122103 हरियाणा। **अन्य पताः** श्री गौरव यादव पुत्र श्री मोहिंदर सिंह पार्टनर मैसर्स श्याम स्टोन क्रशिंग कंपनी, मकान नंबर 154, ग्राम एवं डाकघर हैदरपुर, नई दिल्ली – 110088। नई दिल्ली, दिल्ली–110088

सम्मन

जबकि, OA/301/2021 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष **04/01/2024** को पेश किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण **रु. 2838834.89/–** की ऋण वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता हैः

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ;
ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ;
iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन का निस्तारण लम्बित रहने तक, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ;
iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ;
v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक **06–02–2024 को पूर्वा. 10.30** बजे **रजिस्ट्रार** के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 06–01–2024 को दिया गया।

सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

---

pnb Housing Finance Limited

रजि. कार्यालयः 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड चौथी मंजिल, हॉल डेविडसन शोरूम के ऊपर, रोड नंबर 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद– 500034

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित, आज की तारीख में संशोधित

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद "पीएनबीएचएफएल" के रूप में संदर्भित) ने प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया था। वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 उक्त डिमांड नोटिस हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से नीचे उल्लिखित सभी को जारी किया गया था। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर चूंकि आपका खाता भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के अनुसार गैर–निष्पादित (एनपीए) संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किश्तों/ब्याज का भुगतान न करने के संबंध में दिशा–निर्देश एवम मूलधन, ब्याज, की किश्तों आदि के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक हैं। इसके अलावा, हमारा मानना है कि आप डिमांड नोटिस की सेवा से बच रहे हैं इसलिए हम डिमांड नोटिस का प्रकाशन कर रहे हैं जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(2). के तहत आवश्यक भी है। आपसे इस मांग सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिना. की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। अद्यतन ब्याज और शुल्कों के साथ, ऐसा न करने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई/उपाय करेगा, उधारकर्ताओं और गारंटरों की सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने सहित सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान जहां इसके तहत आप केवल प्रकाशन की तारीख तक पीएनबी एचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित बकाया राशि की पूरी राशि का टेंडर/भुगतान कर सकते हैं। सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करके, सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस का इसके अलावा, आप हैं उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई है।

क्र. सं.	शाखा	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नाम/पता	मांग सूचना की तिथि	दिनांक मांग सूचना के अनुसार राशि ओ/एस
1	बंजारा हिल्स	HOU/MRH/0217/355347	"श्री गौरव जैन, पुत्र संजीव कुमार जैन, (grvjain.16@gmail.com) और श्रीमती आयुषी जैन, पुत्र संजीव कुमार जैन, (yshijain1989@gmail.com), एसएफ–64, सेक्टर 4ए, पंचवटी एन्क्लेव, शताब्दी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250103 नंबर 8433, साउथसाइड बीएलवीडी एपीटी 2105, जैक्सनविले, फ्लोरिडा 32256, यूनाईटेड स्टेट केएसआर कॉर्डेलिया, फ्लैट नंबर सीए–06–07, 67/1 – 67/2, दशरहल्ली, ऑफ हेब्बल रिंग रोड, के.आर. पुरम होबली, बैंगलोर –560 024"	18.01.2024	रु. 09–01–2024 को रु. 51,08,700/– (इक्यावन लाख आठ हजार सात सौ रुपये मात्र)।

गिरवी रखी गई संपत्तिः "अनुसूची "ए" संपत्ति (संपूर्ण संपत्ति का विवरण)ः सर्वेक्षण संख्या 67/1, 1 एकड़ 11 गुंटा और सर्वेक्षण संख्या 67/2 मापने वाली आवासीय रूप से परिवर्तित भूमि के सभी टुकड़े और पार्सल, माप 1 एकड़ 09 गुंटा, दोनों दशरहल्ली गांव, कृष्णराजपुरम होबली, बैंगलोर पूर्वी तालुक, बैंगलोर में स्थित हैं। अनुसूची "बी संपत्ति (अविभाजित ब्याज)ः अनुसूची "ए" के कुल विकास में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा, अधिकार, शीर्षक, हित और स्वामित्व "संपत्ति (जो 435 वर्ग फुट तक आती है)। अनुसूची "सी" संपत्ति (अपार्टमेंट)ः ब्लॉक–ए में "केएसआर कॉर्डेलिया" की छठी मंजिल में सभी आवासीय अपार्टमेंट जिसका निर्माण संख्या सीए–06–07 है अनुसूची "ए" संपत्ति और सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सेदारी सहित 1332 वर्ग फुट का सुपर निर्मित क्षेत्र, जिसमें लिविंग, डाइनिंग, 2 बेडरूम, अध्ययन कक्ष, रसोई, उपयोगिता, 2 शौचालय और बालकनी, कार पार्किंग की जगह शामिल है।"

2	बंजारा हिल्स	HOU/MRH/0217/355232	श्री गौरव जैन, पुत्र. संजीव कुमार जैन (grvjain.16@gmail.com) एवं श्रीमती आयुषी जैन, पुत्र. संजीव कुमार जैन, (yshijain1989@gmail.com) दोनों यहां उपलब्ध हैंः एसएफ–64, सेक्टर 4ए, पंचवटी एन्क्लेव, शताब्दी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250103. नंबर 8433, साउथसाइड बीएलवीडी एपीटी 2105, जैक्सनविले, फ्लोरिडा 32256, यूनाईटेड स्टेट केएसआर कॉर्डेलिया, फ्लैट नंबर सीए–10–01, 67/1 – 67/2, दशरहल्ली, ऑफ हेब्बल रिंग रोड, के.आर. पुरम होबली, बैंगलोर –560 024।"	18.01.2024	09–01–2024 को रु. 39,59,883/– (रुपए उनचालीस लाख उनसठ हजार आठ सौ तिरासी मात्र)।

गिरवी रखी गई संपत्तिः "अनुसूची "ए" संपत्ति (संपूर्ण संपत्ति का विवरण)ः सर्वेक्षण संख्या 67/1, 1 एकड़ 11 गुंटा और सर्वेक्षण संख्या 67/2 मापने वाली आवासीय रूप से परिवर्तित भूमि के सभी टुकड़े और पार्सल, माप 1 एकड़ 09 गुंटा, दोनों दशरहल्ली गांव, कृष्णराजपुरम होबली, बैंगलोर पूर्वी तालुक, बैंगलोर में स्थित हैं। अनुसूची "बी संपत्ति (अविभाजित ब्याज)ः अनुसूची "ए" के कुल विकास में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा, अधिकार, शीर्षक, हित और स्वामित्व श्संपत्ति (जो 337 वर्ग फीट में आती है)। अनुसूची "सी" संपत्ति (अपार्टमेंट)ः ब्लॉक–ए में "केएसआर कॉर्डेलिया" की दसवीं मंजिल पर सभी आवासीय अपार्टमेंट जिसका नंबर सीए–10–01 है, बनाया जा रहा है। अनुसूची "ए" संपत्ति और सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सेदारी सहित 1048 वर्ग फुट का सुपर निर्मित क्षेत्र, जिसमें लिविंग, डाइनिंग, 2 बेडरूम, अध्ययन कक्ष, रसोईघर, उपयोगिता, 2 शौचालय और बालकनी, कार पार्किंग की जगह शामिल है।"

दिनांकः 01.02.2024 , स्थानः दिल्ली — हस्ता/– (प्राधिकृत अधिकारी), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सीएनडब्ली स्क्वेयर, संगम कॉम्पलेक्स,
ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059

कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जैसाकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदार/सह-कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर निम्नलिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार/सह-कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदारों का नाम एवं पता तथा मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति(यों) का विवरण तथा कब्जा करने की तिथि	कब्जा सूचना में मांगी गयी राशि (रु.)
1. जीतेन्द्र सिंह 2. महाराज सिंह 3. केशा देवी नंबर 1,2 और 3 का पता सी-41/20, स्ट्रीट नंबर 14, सुदामापुर, दिल्ली - 110053 4. जगन सर्विसेज नंबर 4 का पता जगन सर्विसेज मकान नंबर 75/22, ग्राउंड फ्लोर खसरा नं. 636, जय प्रकाश नगर, नई दिल्ली, निकट साई प्रॉपर्टी, दिल्ली - 110053 मांग सूचना दिनांकः 21 मार्च 2022 ऋण संख्या **RHLPDEL000061456 (PR00709357)**	अचल संपत्ति क्रमांक सी-4/229 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 51.05 वर्ग गज, खसरा नं. 619, मिन गली नंबर-7, सुदामापुरी, जय प्रकाश नगर, गांव घोंडा गुजरान खादर, इलाका शाहदरा, दिल्ली। कब्जे की तिथिः 28-जनवरी-2024	रु. 1407235/- (रुपये चौदह लाख सात हजार दो सौ पैंतीस मात्र) तिथि 14 मार्च, 2022 तक

प्रतिभूत सम्पत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : इलाका शाहदरा, दिल्ली, — ह./-
तिथि : 01/02/2024 — (अधिकृत प्राधिकारी)
एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IV ए) (नियम 8(6))

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (आईआईएफएल एचएफएल) कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉटनंबर 98, उद्योग विहार, फेज–4, गुरुग्राम–122015 (हरियाणा) और शाखा "कार्यालय "प्लॉट नंबर 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जैगुआर शोरूम से सटा, नई दिल्ली" के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे"अधिनियम"कहा गया है) के तहत। जबकि आईआईएफएल– एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्टर नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा उनको आईआईएफएल– एचएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसी है जहा है एवं जैसी है जो है आधार" पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट : www.iiflonehome.com. पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

कर्जदार(ओ)/सह–कर्जदार(ओ)/गारंटर(ओ)	मंग सूचना तिथि और राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	भौतिक कब्जे की तिथि	सुरक्षित मूल्य
1. श्री करण सिंह 2. श्रीमती अर्चना सिंह (प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल 10241361)	**25–फरवरी –2023** **रु. 20,48,430/–** (बीस लाख अड़तालीस हजार चार सौ तीस रुपये केवल)	संपत्ति का वह सारा हिस्सा और पार्सल, प्लॉट नंबर–156, यूजीएफ बैक आरएचएस, कारपेट एरिया 382 वर्ग फीट, सुपर बिल्ट–अप एरिया 450 वर्ग फीट, खसरा नंबर 21/13, ग्राम रजा. पुर खुर्द, मोहन गार्डन से बाहर ब्लॉक एस, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 (प्लॉट क्षेत्रफल का माप 2320 वर्ग फुट, कारपेट क्षेत्रफल का माप 360 वर्ग फुट)	**27 जुलाई 2023**	**रु. 11,50,000/–** (ग्यारह लाख पचास हजार रुपये मात्र)
	बोली वृद्धि राशि **रु. 25,000/–** (पच्चीस हजार रुपये मात्र)		**दिनांक 03–जनवरी –2024 तक कुल बकाया** **रु. 22,90,872/–** (रुपये बाईस लाख नब्बे हजार आठ सौ बहत्तर मात्र)	**धरोहर राशि जमा (ईएमडी)** **रु. 1,15,000/–** (एक लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि/समय
14 फरवरी 2024 1100 बजे–1400 बजे	16 फरवरी 2024 अप. 5 बजे तक	19 फरवरी 2024 1100 बजे–1300 बजे

भुगतान की विधि : ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे। भुगतान करने के लिए आप **https://www.iiflonehome.com** पर जाएं और केवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करें।

नोट : हर सम्पत्ति के लिए एक अलग भुगतान लिंक है। आप सुनिश्चित करें कि आप उस सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का लिंक उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं।

शेष भुगतान के लिए, सफल बोली के बाद, आपको भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से करना होगा। खाता विवरण निम्नानुसार है : क) खाते का नाम : आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड ख) बैंक का नाम : स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, ग) खाता नंबर : 9902879 प्रॉस्पेक्ट नंबर द्वारा अनुसरित, घ) आईएफएससीकोड :– एससीबीएल0036001 ञ) बैंक पता : स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई–400001

1. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता **https://www.iiflonehome.com** के पास पर्याप्त अग्रिम में पंजीकृत करवाना होगा तथा लॉगइन खाता, लॉगइनआईडी और पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना"निविदा फार्म" ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी तथा पैनकार्ड की प्रति के साथ उपरि वर्णित शाखा कार्यालय में जमा/प्रेषित करना होगा।
2. बोलीदाता अपनी ऑफर कालम" बोलीवृद्धि राशि" में वर्णितराशि के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिड आने पर समाप्तिका समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोलीराशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी समायोजन के बाद) एओ द्वारा बोलीमूल्य स्वीकार करने के 24 घंटे के भीतर और बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी।सभी जमा और भुगतान निर्धारित विधि से करने होंगे।
4. खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर, लागूस्टाम्प ड्यूटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अथवा अन्य बकाया जैसेकि म्युनिसिपलकर, बिजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुषंगी लागत, प्रभार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे।
5. बोलीदाताओं कोई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने की सलाह दी जाती है।
6. विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवाप्रदाता की ई–मेल आईडी : auction.hl@iifl.com सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर : @1800 2672 499. पर सम्पर्क करें।
7. किसी सम्पत्ति विवरण, सम्पत्ति निरीक्षण और ऑनलाइन बिड इत्यादि के संबंध मेंपूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल टोल फ्रीनंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच 09.30 बजे से 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई–मेल : auction.hl@iifl.com को मेल लिखें।
8. एतद्द्वारा उपरोक्त कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि भौतिक कब्जा लेते समय प्रतिभूत आस्ति में रखी घरेलू वस्तुएं 7 दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा आईआईएफएल एचएफएल परिस्थितियों के अधीन सम्पत्ति की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नही होगी।
9. एतद्द्वारा कर्जदारों को आगे सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त कर ने में चूक की स्थिति में उनको विधि सम्मतढंग से बेचा जाएगा।
10. सफल बोलीदाता/नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी चरण में निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री दोबारा की जाएगी।
11. एओ का बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी स्थगित/निरस्त करने या नियम एवं शर्तो में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा/नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल–एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उप नियम (1) के तहत 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार को अधिसूचित किया जाता है कि उपरि वर्णित राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चो के साथ निविदा/नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति बेची/नीलाम की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

स्थान : दिल्ली, तिथि : 01–02– 2024 — हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड

SBI

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा : RACPC गाजियाबाद शाखा, 105, न्यू आर्य नगर, गाजियाबाद,
यू.पी.-201003, फोनः 0120-4168175 ई-मेलः sbi.10049@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो **भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी, पलारिवट्टोम, एर्नाकुलम, केरल – 682024** के पास बंधक / प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा** (जो भी लागू हो) प्रतिभूत लेनदार **भारतीय स्टेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **उधारकर्ता Lt Cdr छवि राठी पत्नी श्री विकास दहिया (कर्जदार) और श्री विकास दहिया पुत्र श्री सुरेश कुमार दहिया (सह–कर्जदार) से रु. 17,69,667/- (रु. सत्रह लाख उनहत्तर हजार छः सौ सड़सठ मात्र)** और दिनांक **19.01.2024** से भविष्य का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 15-02-2024** को बेचा जाएगा। **आरक्षित मूल्य रु. 32,86,800/-** (रु. बत्तीस लाख छियासी हजार आठ सौ मात्र) और **अग्रिम जमा धन राशि रु. 3,28,680/- (रु. तीन लाख अट्ठाईस हजार छ सौ अस्सी)** होगी।

(ज्ञात बाधाओं सहित अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई)

फ्लैट नं. बी–910, टॉवर–बी, 9वां तल, सुपर निर्मित क्षेत्रफल 65.46 वर्ग मी., रिहायशी ग्रुप हाउसिंग कॉम्पलैक्स ''यूनिनव हाईट्स'' खसरा नं. 990, 999 और 1000 गॉव नूर नगर, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच–58, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया भारतीय स्टेट बैंक, सुरक्षित लेनदार वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया भारतीय स्टेट बैंक, सुरक्षित ऋणदाता के वेब पोर्टल "https://sbi.co.in" पर दिए गए लिंक को देखें। विवरण "https://ibapi.in" पर भी उपलब्ध है।

दिनांक 31.01.2024, स्थान : गाजियाबाद — हस्ता0/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :– 502, टावर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 सर्किल कार्यालय :– 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के अधीन। अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) का प्राधिकृत अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) ("उक्त कर्जदार(रों)") से उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशियां, जो नीचे भी दी गई हैं, चुकाने की मांग की गई थी। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा, उक्त कर्जदार(रों) को, एक बार पुनः, यहां नीचे दी गई राशियों का भुगतान सीजीसीएल को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक, ऋण अनुबंध के साथ पठित अन्य दस्तावेजो/प्रलेखों, यदि कोई, जो उक्त कर्जदार(रों) द्वारा निष्पादित किया गया है, के तहत देय आगे ब्याज सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने हेतु सूचना दी जाती है। उक्त कर्जदार(रों) द्वारा ऋण की प्रतिभूति के लिए निम्नलिखित आस्तियां सीजीसीएल के पास बंधक रखी गई हैं।

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)
1.	(ऋण खाता संख्या **LNMEGZB000038666** गाजियाबाद शाखा) **अनिल कश्यप (कर्जदार) श्रीमती रामेश्वरी आर, संदीप कुमार, भारत भूषण (सह–कर्जदार)**	27–01–2024 रू. 20,24,585/–	"सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर 99, भूमि क्षेत्रफल परिमाप 120 वर्ग गज यानी 100.332 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 2978 का भाग, स्थित ग्राम शाहपुर बम्हेटा, मानसरोवर पार्क हदबस्त, परगना डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001. चौहद्दी निम्नानुसार – उत्तर : प्लॉट नंबर 100, दक्षिण : प्लॉट नंबर 98, पूरब : गली, पश्चिम : प्लॉट नंबर 72"
2.	(ऋण खाता संख्या **LNCGCOKDTL0000008316** फरीदाबाद शाखा) **बिनोद कुमार (कर्जदार) श्रीमती कविता तिवारी, प्रकाश तिवारी (सह–कर्जदार)**	27–01–2024 रू. 20,40,014/–	"सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान नंबर 96, क्षेत्रफल परिमाप 50 वर्ग गज, भूमि परिमाप 2–1/2 मरला, खसरा नंबर 57/20 के भाग पर निर्मित, प्लॉट नंबर 9 एवं 10, गली नंबर 2, नंगला मार्ग, मौजा सरन, सुंदर कालोनी, सेक्टर–22, तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा–121005. चौहद्दी निम्नानुसार – पूरब : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : गली"
3.	(ऋण खाता संख्या **LNCGCJGDTL0000007767** आजादपुर शाखा) **राम कुमार शर्मा (कर्जदार) श्रीमती राज बाला, मैसर्स दीक्षा फैब्रिक्स (इसके स्वामी के माध्यम से), संजीव कुमार (सह–कर्जदार)**	27–01–2024 रू. 20,90,180/–	"सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान नंबर 139, क्षेत्रफल परिमाप 150 वर्ग गज (125.415 वर्ग मीटर), खसरा नंबर 586 का भाग, ग्राम गढ़ी सबलू, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102. चौहद्दी निम्नानुसार – उत्तर : 10 फीट चौड़ी गली, दक्षिण : श्यामवीर का मकान, पूरब : रास्ता 30 फीट चौड़ा, पश्चिम : राम करण का मकान"

यदि उक्त कर्जदार सीजीसीएल को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहेंगे, सीजीसीएल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। उक्त कर्जदार उक्त अधिनियम के तहत, सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त आस्तियां बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरित नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा तदधीन विरचित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन हेतु अभिप्रेरित करता है, उक्त अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा/अथवा आर्थिक दण्ड का भागी होगा।

स्थान : गाजियाबाद, फरीदाबाद एवं आजादपुर तिथि : 01–02–2024 — **हस्ता./–, (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल)**

केनरा बैंक Canara Bank

(A Government Of India Undertaking)
Head Office: Bangalore

एआरएम शाखा–1
द्वितीय तल, नं. 86, स्पेंसर टॉवर,
एम.जी. रोड, बैंगलोर–560001
दूरभाष : 080–25310066, मोबा.: 9599662508 एवं 9920720798
ईमेलः cb2366@canarabank.com

विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियों, जिनका अधिग्रहण एआरएम शाखा–1, बेंगलुरू केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उनका विक्रय 05–03–2024 को (10.30 बजे से 11.00 बजे) ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जाएगा, जो कि मैसर्स पेगासी स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में 3 एसेज हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में विदित), अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय : मकान नं. 22, रोड नं. 62, पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026, प्रधान कार्यालय : एस के आर्कड, नं. 33/1, डोडडाकन्नाली, करमालारम पोस्ट, सरजापुरा रोड, बैंगलोर – 560035, 2. श्री नीरज कुकरेजा (निदेशक) पुत्र जगदीश कुकरेजा, 3. श्रीमती रितिका कुकरेजा (निदेशक) पत्नी नीरज कुकरेजा, दोनों 2 एवं 3 निवासी : विला रु151, आदर्श पाल्म रिट्रिट, बेल्लांदुर, बैंगलोर–560103, 4. श्री जगदीश कुकरेजा (गारंटर) पुत्र कौरा राम कुकरेजा, 5. श्रीमती पुष्पा कुकरेजा (गारंटर), दोनों 4 एवं 5 निवासी : बी 1801, स्काईलार्क इस्टा हूडी, व्हाइटफील्ड, बैंगलोर–560048 की ओर से एआरएम शाखा–1, बेंगलुरू केनरा बैंक को देय–भुगतेय निर्धारित देनदारी रु. 8,35,28,000/- की एक राशि और इस राशि पर नियत भावी ब्याज एवं लागत की वसूली के लिए होगा।

आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमाओं के विवरण निम्नानुसार हैं और धरोहर राशि जमा को 04–03–2024 को सायं 05.00 बजे अथवा इससे पूर्व प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक एआरएम–1 शाखा के पक्ष में आहरित डीडी के माध्यम से अथवा खाता सं. 209272434 (आईएफएससी सीएनआरबी0002366) में ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

(रु. लाख में)

लॉट नं.	चल परिसंपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	धराज राशि	बोली पर वृद्धिशील मूल्य
1.	संपूर्ण द्वितीय तल के समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान सं. 22 पर, माप 2000 वर्ग फुट, आवासीय भवन, रोड नं. 62, पंजाबी बाग पश्चिम, नई दिल्ली–110026 में स्थित, छत/टेरेस अधिकारों के बिना, उसके नीचे की स्वामित्वधारक भूमि में समानुपातिक अविभाजित अंश/अधिकारों के साथ और निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व : सर्विस लेन, पश्चिम : सड़क सं. 62, उत्तर : संपत्ति सं. 20 एवं दक्षिण : संपत्ति सं. 24	रु. 331.20	रु. 33.12	रु. 1.00

ज्ञात ऋणभार, यदि कोयी : बैंक की जानकारी में नहीं है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट (**www.canarabank.com**) पर उपलब्ध लिंक ''ई–नीलामी'' का संदर्भ ग्रहण करें अथवा मुख्य प्रबंधक, एआरएम–1 शाखा, बेंगलुरू, केनरा बैंक से दूरभाष संख्या 9483532366 एवं अन्य संपर्क नं. 9900472090 पर किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : बेंगलुरू — **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 30–01–2024 — **केनरा बैंक**

कॉर्ड्स केबल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L74999DL1991PLC046092
पंजीकृत कार्यालय : 94, प्रथम तल, शम्भू दयाल बाग मार्ग,
निकट ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज-III, ओल्ड ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110020
दूरभाष : 011-40551200, **ईमेल :** ccil@cordscable.com, **वेबसाइट :** www.cordscable.com

31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(राशि रु. लाख में)

	विवरण	समाप्त तिमाही 31/12/2023 अलेखापरीक्षित	समाप्त तिमाही 30/09/2023 अलेखापरीक्षित	समाप्त तिमाही 31/12/2022 अलेखापरीक्षित	समाप्त नौमाही 31/12/2023 अलेखापरीक्षित	समाप्त नौमाही 31/12/2022 अलेखापरीक्षित	समाप्त वर्ष 31/03/2023 लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	16844.95	14793.80	12957.83	45227.31	38525.26	52764.72
2	अवधि हेतु निबल लाभ/हानि (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	387.99	279.71	227.61	914.50	709.15	974.55
3	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	387.99	279.71	227.61	914.50	709.15	974.55
4	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	295.09	203.93	164.29	684.17	510.01	721.94
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	293.33	203.07	163.92	679.31	508.89	713.32
6	इक्विटी शेयर पूँजी (प्रदत्त)(रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1292.78	1292.78	1292.78	1292.78	1292.78	1292.78
7	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में प्रदर्शित है						14627.88
8	आय प्रति शेयर (सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु)						
	(अ) बेसिक	2.27	1.57	1.27	5.25	3.94	5.52
	(ब) डाइल्यूटेड	2.27	1.57	1.27	5.25	3.94	5.52

नोट :

1. उपर्युक्त अलेखापरीक्षित स्टैण्डएलोन वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और 31 जनवरी, 2024 को आयोजित कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदित की गयी।
2. कम्पनी के विधिक लेखापरीक्षकों इन परिणामों की सीमित समीक्षा की है और ये परिणाम सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम 2015 के विनियम 33 के अनुसार प्रकाशित किये जा रहे हैं।
3. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। अलेखआपरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.cordscable.com) पर उपलब्ध है।
4. कम्पनी इण्ड एएस–108 में परिभाषित के अनुसार एकल खण्ड में प्रचालन कर रही है, अतः खण्ड प्रतिवेदन कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं है।
5. उपर्युक्त अवधियों हेतु कम्पनी द्वारा प्रतिवेदन के लिए कोई अन्य अपवादित मद नहीं है।
6. स्टैंडएलोन परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस), कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के अनुसार तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के सन्दर्भ में तैयार किये गये हैं।
7. वर्तमान अवधि के आँकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए गत तिमाही/वर्ष के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्वर्गीकृत, पुनर्समूहीकृत तथा पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते कॉर्ड्स केबल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
ह./–
नवीन साहनी
(प्रबन्ध निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.01.2024 — डीआईएन : 00893704

www.readwhere.com